संख्या-24/2017/सा0-579/38-2-2017-3बी/2013

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2017**

विषय:- नवसृजित जनपद-कासगंज में विकास भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-324/बजट/ सामु0वि02016-17 दिनांक 26-10-2016 एवं पत्र संख्या-584/बजट अनु0/सामु0वि0/2017-18 दिनांक 16-08-2017 तथा मुख्य विकास अधिकारी कासगंज के पत्रांक-513/जि0ले0/वि0भ0-पुनरीक्षित प्राक्कलन/2016-17 दिनांक 21-09-2016 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-सा0-232/38-2-2014-3बी/2013, दिनांक 29-03-2014, शासनादेश संख्या-सा0-15/38-2-2015-3बी/2013, दिनांक 15-01-2015, शासनादेश संख्या-सा0-384/38-2-2015-3बी/2013, दिनांक 26-06-2015, शासनादेश संख्या-सा0-95/38-2-2016-3बी/2013, दिनांक 21-03-2016 एवं शासनादेश संख्या-सा0-351/38-2-2016-3बी/2013, दिनांक 30-06-2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नवसृजित जनपद-कासगंज में विकास भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आकलित लागत रू0 1300.27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 1106.22 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त रू0 194.05 लाख (रूपये एक करोड़ चौरान्नबे लाख पांच हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि से रू0 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। धनराशि को व्यय करने में इस प्रकार की रणनीति बनायी जायेगी, जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेन्सी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

Madan

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(6) इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में आहरित कर बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही अवशेष कार्य कराये जायेंगे।

(11) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर परचेज रूल्स के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रस्तावित धनराशि से निर्माण कार्य पी0डब्लू0डी0 के शेड्यूल रेट से कराये जायेंगे।

(13) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ की होगी।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15) पुनरीक्षित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(16) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) पुरीक्षित परियोजना में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा सर्विस टैक्स का प्राविधान किया गया है। वर्तमान समय में जी0एस0टी0 लागू होने के कारण प्रभाग द्वारा सर्विस टैक्स को अनुमन्य नहीं किया गया है।

(18) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(19) पुनरीक्षित परियोजना में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्ततन जैसे-परियोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढ़ना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-773/दस-2017 दिनांक 02-11-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-24/2017/सा0-579(1)/38-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, कासगंज।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, कासगंज।
5- कोषाधिकारी, कासगंज।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कासगंज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- स्थानिक अभियन्ता, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कासगंज इकाई, कासगंज।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Madan